भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †1278
सोमवार, 11 दिसम्बर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देना

†1278. डॉ. निशिकांत दुबे:
श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशी और ज्यादा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने तथा वर्तमान पर्यटन स्थलों को अद्यतन सुविधाओं से उन्नत करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में वन्यजीव अभयारण्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय विदेशी बाजारों में एकीकृत विपणन तथा संवर्धनात्मक कार्यनीति, और यात्रा व्यापार जगत, राज्य सरकारों तथा भारतीय मिशनों के सहयोग से एक समन्वित अभियान चलाता है। सरकार औद्योगिक विशेषज्ञों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में रहती है और भारत के विविध पर्यटन उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु उनके सुझाव और फीडबैक लेती है। आगंतुकों के आगमन को बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने ''अतुल्य भारत! विजिट इंडिया वर्ष 2023'' की घोषणा की है।

पर्यटन मंत्रालय वैश्विक पर्यटन बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने हेतु देश के विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों और पर्यटन गंतव्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन सृजनकारी बाज़ारों में भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2023 के दौरान वन्यजीव सहित भारत के विविध पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों जैसे फिटूर 2023, मैड्रिड, स्पेन (18-22 जनवरी 2023); आईटीबी बर्लिन (7-9 मार्च 2023); अरेबियन ट्रेवल मार्किट 2023, दुबई (1-4 मई 2023); आईएमईएक्स फ्रेंकफर्ट (17-19 अक्तूबर 2023); ओटीडीवाईकेएच लेज़र, मॉस्को, रूस (12-14 सितम्बर 2023); टीओपी रेसा, पेरिस, फ्रांस (3-5 अक्तूबर 2023); नई दिल्ली में पीएटीए ट्रेवल मार्ट 2023 (4-6 अक्तूबर 2023); आईटीबी, एशिया, सिंगापुर (25-27 अक्तूबर 2023); जेएटीए, ओसाका, जापान (26-29 अक्तूबर 2023); डब्ल्यूटीएम लंदन (6-8 नवम्बर 2023) में भाग लिया।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्यजीव और वन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को किसी ऐसे क्षेत्र को अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार देता है जिसे वे पर्यावरणिक, जीव-जन्तु, वनस्पति, भूसंरचना, प्राकृतिक अथवा प्राणी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समझते हैं। ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बाघ रिजर्व) का प्रबंधन संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आता है। ऐसे प्रबंधन हस्तक्षेपों में इन क्षेत्रों में इको पर्यटन कार्यकलाप भी शामिल हैं। मंत्रालय ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अनुसार दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को इन क्षेत्रों की प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 29.10.2021 को 'वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों में स्थायी इको पर्यटन हेतु दिशानिर्देश - 2021' जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में प्रकृति पर्यटन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को इस तरीके से बढ़ावा दिया गया है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए और वित्तीय रूप से व्यवहार्य मूल्य श्रृंखलाओं के जरिए स्थानीय सामग्री के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भर' बनने में ऐसे स्थानीय समुदायों की सहायता करे। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्रो के लिए प्रबंधन योजनाएं तैयार करने हेतु दिशानिर्देश भी परिचालित किए हैं जिसमें पर्यटन कार्यकलाप भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने पर्यटन कार्यकलापों के लिए निर्देशात्मक मानक और बाघ परियोजना संबंधी दिशा-निर्देश, 2012 को भी अधिसूचित किया है।

इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने देश में वन्यजीव परिपथ के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जिसका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

डॉ. निशिकांत दुबे और श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा द्वारा वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देना के संबंध में दिनांक 11.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †1278 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(करोड़ रु. में)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	**परिपथ/ स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि**	**जारी की गई राशि**	**उपयोग की गई राशि**
असम	वन्यजीव परिपथ 2015-16	मानस - प्रोबीतोरा - नामेरी - काजीरंगा - डिब्रू - सैखोवा का विकास।	94.68	89.94	89.53
मध्य प्रदेश	वन्यजीव परिपथ 2015-16	पन्ना - मुकुंदपुर - संजय - डुबरी - बांधवगढ़ - कान्हा - मुक्की - पेंच में वन्यजीव परिपथ का विकास।	92.10	86.31	86.31
आंध्र प्रदेश	तटीय परिपथ 2014-15	काकीनाडा - होप आइलैंड - कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य - पासरलापुडी - अडुरू - दक्षिणी यनम - कोटिपल्ली का विकास	67.83	67.83	67.83

****